

भारत का राजपत्र
The Gazette of India.

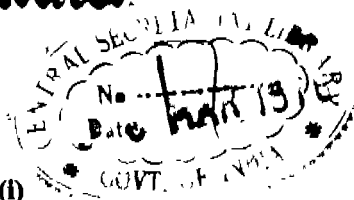
प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 23]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 1976/पीड 29, 1897

No. 23]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 1976/PAUSA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 19th January 1976

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 156 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Customs (Publication of Names) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "Collector of Customs" includes an Additional Collector of Customs;

(c) "proper officer", in relation to any functions to be performed under the Act, means the officer of customs who is assigned those functions by the Central Board of Excise and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), or the Collector of Customs;

(d) "section" means a section of the Act.

3. **Publication of names and other particulars of persons.**—(1) Subject to the provisions of these rules, the Collector of Customs shall, once in every three months, cause to be published in the Official Gazette the names and addresses and other particulars specified in sub-rule (2), of the following categories of persons, namely:—

- (a) persons who have been convicted by a court for contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder;
 - (b) persons who have been adjudged by a proper officer to have contravened any of the provisions of the Act or the rules made thereunder, where
 - (i) the persons had, on a previous occasion, been similarly adjudged by the proper officer or convicted by a court; or
 - (ii) the penalty imposed by the proper officer is ten thousand rupees or above.
- (2) The other particulars referred to in sub-rule (1) are—

- (a) the provisions of the Act or the rules made thereunder contravened;
- (b) the particulars regarding the penalty imposed; and
- (c) where the officer adjudging has directed confiscation under section 111 or section 113, the particulars regarding such confiscation.

Explanation.—In the case of a firm, company or other association of persons, the names of partners of the firm, directors, managing agents, secretaries and treasurers, or the name of the manager of the company or the names of the members of the association as the case may be, may also be published if, in the opinion of the Collector of Customs, the circumstances of the case justify such publication.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest so to do, direct the Collector of Customs to publish the names, addresses and other particulars, specified in sub-rule (2), of any other person who has been held guilty of any contravention of the provisions of the Act or of any rule made thereunder.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in the interest of investigations under the Act, security of the State, friendly relations with foreign States or otherwise in the interests of the general public, so to do, direct the Collector of Customs that names of any person or category of persons may not be published.

4. **Publications under rule 3 to be made after the specified period.**—No publication under rule 3 shall be made in respect of a person, until the period for preferring an appeal under section 128 has expired without any appeal having been preferred, or such an appeal having been preferred, has been disposed of.

[No. 3 Cus./F. No. 393/45/75-Cus.III]

M. A. RANGASWAMY, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और सीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 27 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क, अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 156 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क (नामों का प्रकाशन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “अधिनियम” से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;
- (ख) “सीमा-शुल्क कलक्टर” में सीमा शुल्क का अपर कलक्टर भी आता है ;
- (ग) अधिनियम, के अधीन किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में, “समुचित अधिकारी” से सीमा शुल्क का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे वे कृत्य केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा या सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा समन्वित किए गए हों ;
- (घ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. व्यक्तियों के नामों और अन्य विशिष्टियों का प्रकाशन — (1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सीमा शुल्क कलक्टर हर तीन मास में एक बार व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों के नाम और पते तथा उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां, प्रकाशित कराएगा अर्थात् —

- (क) वे व्यक्ति जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए गए हैं ;
- (ख) वे व्यक्ति जो समुचित अधिकारी द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करने वाले घोषित किए गए हैं, यदि
 - (i) ऐसे व्यक्ति किसी पूर्व अवसर पर भी समुचित अधिकारी द्वारा इसी प्रकार से न्यायनिर्णीत किए गए हों या न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाए गए हों; या
 - (ii) समुचित अधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति दस हजार रुपए या उससे अधिक हो ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां निम्नलिखित हैं—

- (क) अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के वे उपबन्ध जिनका उल्लंघन किया गया है ;
- (ख) अधिरोपित शास्ति की बाबत विशिष्टियां ; और
- (ग) जहां न्यायनिर्णय करने वाले अधिकारी ने धारा 111 या धारा 113 के अधीन अधिहरण का निदेश किया हो वहां ऐसे अधिहरण की बाबत विशिष्टियां ।

स्पष्टीकरण.—फर्म, कम्पनी या व्यक्तियों के अन्य संगम की दशा में, यथास्थिति, फर्म के भागी-दारों, निदेशकों, प्रबन्ध अधिकारियों, सचिवों और कोषपालों के नाम, या कम्पनी के प्रबन्धक का नाम या संगम के सदस्यों के नाम भी प्रकाशित किए जा सकते हैं यदि सीमा-शुल्क कलक्टर की राय में मामलों की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ऐसा प्रकाशन न्यायोचित है ।

(3) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समोचीन है, सीमा-शुल्क कलक्टर को किसी अन्य व्यक्ति के, जिसे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, नाम, पते और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करने का निदेश कर सकती है ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम के अधीन अन्वेषण, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों

या जन साधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, सीमा-शुल्क, कलक्टर को निदेश कर सकती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग के नाम प्रकाशित न किए जाए।

4. नियम 3 के अधीन प्रकाशन विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् किया जाएगा.—किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम 3 के अधीन प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि धारा 128 के अधीन अपील करने की अवधि बिना कोई अपील किए समाप्त न हो गई हो या ऐसी अपील की जाने की दशा में वह निपटा न दी गई हो।

[सं० 3 सी० शु०/फा० सं० 393/45/75—सी० शु० III]

एम० ए० रंगास्वामी, अपर सचिव।